<u>प्रकरण संख्या 44/2022 प्रतापसिंह बनाम डूंगरसिंह व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.07.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 व 15 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नाड, तहसील गिर्वा में खाता संख्या 19 की वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मौरूसी आराजी नंबर 249, 271, 273 से 277, 325 से 333 एवं 335 कुल किता 17 रकबा 3.6150 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है। इसी प्रकार खाता संख्या 29 की आराजी नंबर 272 रकबा 1.2750 हैक्टर भूमि स्थित होकर वादीगण के संयुक्त रूप से 155/255 वां हिस्सां एवं प्रतिवादीगण का 100/255 हिस्सा दर्ज है। खातेदार मानसिंह पिता उर्जनसिंह का लाऔलाद स्वर्गवास हो गया। उर्जनसिंह के तीन लड़के दीपसिंह, सरदारसिंह एवं मानसिंह थे। तीनों का स्वर्गवास हो चुका है। दीपसिंह के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तथा सरदारसिंह का वारिस प्रतिवादी संख्या 6 है, जबकि मानसिंह के लाऔलाद फोत होने से उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 6 हैं। इस प्रकार मानसिंह की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 6 का 1/2 हिस्सा है। पक्षकारान संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु भूमियों का विधिवत विभाजन नहीं होने से छोटे–मोटे विवाद होते रहते हैं। अतः वाद वर्णित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर स्वर्गीय दीपसिंह व मानसिंह के वारिसान के नाम उनकी भूमि की घोषणा की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2016 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 27.07.2016 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी संख्या 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.06.2022 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर [illegible] को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 3, [illegible] 8, 11, 12, 14, 15 की	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:47:28 IST
Reason: SelfAttested

ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री झालमसिंह उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 01.06.2022 को अपीलान्ट के कब्जे शुदा मकान के सामने की बाड़ हटाकर बाड हटाने से रोक दिया तथा लड़ाई–झगड़ा किया तब अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अपील 6 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जो स्पष्ट रूप से मयाद बाहर है। अतः अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर RBJ (17) 2010 Page 289 प्रस्तुत की।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं न्यायिक नजीर का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री दिनांक 27.07.2016 के विरूद्ध अपीलान्ट/वादी संख्या 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.06.2022 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील प्रस्तुत करने की मयाद 60 दिवस है अर्थात दिनांक 26.09.2016 तक अपील प्रस्तुत करने की मयाद थी, किन्तु अपील दिनांक 16.06.2022 को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब 5 वर्ष 9 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण बताया है, वह न तो उचित प्रकट होता है, न ही इतने अधिक विलम्ब के लिए उसे पर्याप्त कारण माना जा सकता है। तदनुसार अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्राप्त उक्त नजीर अनुसार अपील मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:47:28 IST
Reason: Self Attested

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण [illegible] है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों [illegible] पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि तहसीलदार [illegible] रिपोर्ट बनाते समय चूंकि

प्रतिवादीगण के मकान के पास–पास होने के कारण समझने में चूक होने के कारण आराजी नंबर 276 मीन में 0.0700 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में दर्ज कर वादी को भारी क्षति पहुंचायी है। तहसीलदार ने कब्जे को आधार नहीं मानकर बंटवारा कर दिया, जिसके आधार पर जारी अंतिम डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा फर्द बंटवारे से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संतुष्ट होने के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की गयी है तथा फर्द बंटवारे के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस पर स्वयं अपीलान्ट प्रतापसिंह के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में अब अपीलान्ट का यह कथन कि तहसीलदार द्वारा बंटवारा रिपोर्ट बनाते समय चूक होने के कारण आराजी नंबर 276 मीन रकबा 0.0700 हैक्टर प्रतिवादीगण के हिस्से में रखने में भूल की है, उचित प्रकट नहीं होता है। तद्नुसार उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गयी वह विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 50/2012 निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 27.07.2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन सक्षम अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:47:28 IST
Reason: SelfAttested